

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 199  
No. 193] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935]N.C.T.D. No. 199

भाग—IV

PART—IV

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सं. फा.17/01/2012-प्र0सु0/11554-11713/सी.—इस विभाग की दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 की अब तक यथा संशोधित अधिसूचना का आंशिक आशोधन में और दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 2 के खंड (क) तथा खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल इसके द्वारा विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली सरकार के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए इसके साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में निम्नलिखित संशोधन शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से करते हैं।

दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 की उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में क्रम संख्या 48 के सामने उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं, अर्थात् :-अपनी नियंत्रणधीन विभागों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों/उपक्रमों के विषय में निम्नलिखित जोड़ना/संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
"48	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग	उप सचिव (विधि)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ० एम. एम. कुदटी, प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

## ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 18th December, 2013

**No. F. 17/01/2012/AR/11554-11713/C.**—In partial modification of this Department's Notification No. F. 17/6/2001/AR, dated 3rd October, 2001 as amended up-to-date, and in exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of Section 2 of the Delhi Right to Information Act, 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in Annexure-I appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the Department of Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

In Annexure-I to the said notification dated the 3rd October, 2001 for the entries against Serial No. 48, the following entries shall be substituted, namely:-

S. No	Name of the Department	Competent Authority
"48"	Department of Law Justice & Legislative Affairs	Dy. Secretary (Law)"

By Order and in the Name of  
the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

Dr. M. M. KUTTY, Principal Secy. (AR)

शिक्षा निदेशालय  
आदेश

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

**सं.डी.ई.15(1031)अधिनियम/2013/12795-12809.**—दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के नियम 43 सहपठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 3 के तहत अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007 प्रकाशित द्वारा अधिसूचना/आदेश संख्या डी.ई.15(1031)अधिनियम/2007/7002 दिनांक 24.11.2007 में निम्न संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय ( पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) (संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

2. खण्ड 14 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"14(क) निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय में दाखिले के लिए कोई प्रबन्धन कोटा नहीं होगा।

14(ख) विद्यालय के प्रवेश स्तर (6 वर्ष आयु से कम) पर दाखिले के लिए उपलब्ध कुल सीटों को चार भागों में विभक्त किया जाएगा :-

- (i) 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जैसाकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में परिभाषित है। (अल्प संख्यक विद्यालयों को छोड़कर)
- (ii) 5 प्रतिशत सीटें विद्यालय कर्मचारी कोटा : विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/स्टाफ के बच्चों हेतु। इस कोटे में रिक्त सीटों का खुली सीटों में स्थानांतरण हो जाएगा।
- (iii) सहशिक्षा विद्यालयों में 5 प्रतिशत बालिका कोटा : 5 प्रतिशत बालिका कोटे की सीटें, पंजीकृत बालिका आवेदकों, जोकि विद्यालय के 6 किलोमीटर की परिधि के भीतर निवासरत हों, के मध्य लाटरी निकालकर भरी जाएंगी। बची हुई बालिकाओं के आवेदनों पर दाखिले के लिए खुली सीटों के लिए स्थापित स्थाई मापदण्डों व अंकों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

(iv) खुली सीटें : वह सीटें जो उपरोक्त तीनों वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

खुली सीटों के अंतर्गत दाखिला निम्न स्थापित स्थाई मापदण्डों एवं अंकों के आधार पर ही किया जाएगा।

क्रम संख्या	मापदण्ड/कसौटी	अंक
1	6 किलोमीटर तक का परिधि क्षेत्र	70
2	भाई-बहन उस विद्यालय में ही शिक्षारत हैं	20
3	अभिभावक विद्यालय के विद्यार्थी रहे हों	5
4	अंतर्राज्यीय स्थानांतरण मामला	5
	कुल योग	100

यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो वह लाटरी के माध्यम से भरी जाएंगी।

विद्यालय उपरोक्त वर्णित मापदण्डों/अंकों के अतिरिक्त अन्य कोई मापदण्ड/अंक स्थापित नहीं करेगा।

#### 14(ग) अल्प संख्यक विद्यालय :

- (i) आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अल्प संख्यक विद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है। परन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-9-2012 व 4-12-2012 जो कि WP(C) No. 6439/2011 व 3715/2011 में दिया गया है को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अल्प संख्यक विद्यालय जिन्हें किसी भी सरकारी संस्था/अधिकरण/विभाग द्वारा भूमि का आबंटन हुआ है वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 20 प्रतिशत सीटें प्रवेश स्तर पर आरक्षित करेंगे तथा विद्यालयी शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदत्त करेंगे।
- (ii) 5 प्रतिशत सीटें विद्यालय कर्मचारी कोटा/स्टाफ, अन्य विद्यालयों के अनुरूप।
- (iii) सहशिक्षा विद्यालयों में 5 प्रतिशत बालिका कोटा, अन्य विद्यालयों के अनुरूप।
- (iv) अल्पसंख्यक विद्यालयों को सम्बन्धित अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार होगा। विद्यालयों द्वारा आरक्षित व गैर-आरक्षित सीटों की घोषणा की जाएगी तथा अनुसरणीय प्रक्रिया का प्रकाशन सूचनापटल, वेबसाईट तथा/अथवा चाहे वह दाखिले के लिए कोई भी प्रक्रिया अपनाते हो पर करना होगा। दाखिला प्रक्रिया खुली, पारदर्शी तथा उचित होनी चाहिए।
- (v) शेष सीटों, यदि कोई हो तो, को खुली सीटें माना जाएगा और इन रिक्त सीटों को उपरोक्त खण्ड 14(ख)(iv) के अंतर्गत स्थापित स्थाई मापदण्डों एवं अंकों के आधार पर ही भरा जाएगा।

14(घ) निर्धारित सरकारी सेवाओं के लिए स्थापित विद्यालय जैसेकि सैनिक बल/अर्धसैनिक बल/केन्द्रीय सेवाएं/अखिल भारतीय सेवाएं :

- (i) 25 प्रतिशत कोटा आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, अन्य विद्यालयों के अनुरूप।
- (ii) 5 प्रतिशत सीटें विद्यालय कर्मचारी/स्टाफ कोटा, अन्य विद्यालयों के अनुरूप।
- (iii) सहशिक्षा विद्यालयों में 5 प्रतिशत बालिका कोटा, अन्य विद्यालयों के अनुरूप।
- (iv) इन विद्यालयों को निर्धारित सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित अभिभावकों के बच्चों के लिए, जैसेकि सैनिक बल/अर्धसैनिक बल/केन्द्रीय-सेवाएं/अखिल भारतीय सेवाएं, सीटें आरक्षित करने का अधिकार होगा। इन सीटों के लिए विद्यालय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगा।
- (v) शेष सीटों को खुली सीटें माना जाएगा और इन रिक्त सीटों को उपरोक्त खण्ड 14(ख)(iv) के अंतर्गत स्थापित स्थाई मापदण्डों एवं अंकों के आधार पर ही भरा जाएगा।

14(ङ) विद्यालय, 6 किलोमीटर परिधि (हवाई अथवा मार्ग दूरी) के भीतर आने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करेगा तथा इन्हें अपने सूचनापटल, वेबसाईट तथा/अथवा चाहे वह दाखिले के लिए कोई भी प्रक्रिया अपनाते हों (दाखिला प्रक्रिया प्रारंभ से पूर्व) प्रकाशित करेगा, ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।"

यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा WP(C) संख्या 2463/2013 शीर्षक Social Jurist : A Civil Right Group Vs Lt. Governor of NCT of Delhi and Anr' में दिये आदेश दिनांक 25/9/2013 को निष्पादित करता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
डॉ० मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

## DIRECTORATE OF EDUCATION

## ORDER

Delhi, the 18th December, 2013

**No. F/DE/15/1031/ACT/2013/12795—12809.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following order to amend the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-primary class) Order, 2007 published vide Order No.F/DE/15/1031/ACT/2007/7002 dated 24.11.2007, namely: -

## 1. Short title and commencement.

(1) This Order may be called the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-primary classes) (Amendment) Order, 2013.

(2) It shall come into force with immediate effect.

## 2. For Clause 14, following shall be substituted, namely:-

"14 (a) There shall be no Management Quota in admission in any private unaided recognized school of Delhi.

14 (b) The total number of seats for admission to a class at entry level (below six years of age) of the school shall be divided into four parts:

- (i) 25% seats for Economically Weaker Section and Disadvantaged Group as defined under the Right to Education Act, 2009 (except for minority schools).
- (ii) 05% seats as Staff Quota: for the wards of the staff/employees of the school. The unfilled seats of the staff quota shall spill over to open seats.
- (iii) 05% girl's quota for co-ed schools: The seats for 5% girl's quota shall be filled through draw of lots out of all the registered girl applicants residing within 6 k.m. radius. The remaining applicants shall be considered for admission as per the parameters/criteria and points for open seats.
- (iv) Open seats: The remaining seats which are not covered under above three categories.

The admission to open seats shall be made only on the basis of fixed parameters and points as prescribed hereunder:

S. No.	Parameters/ Criteria	Points
1	Neighbourhood up to 6 km	70
2	Sibling studying in school	20
3	Parent Alumni of school	05
4	Inter-State Transfer case	05
TOTAL		100

In case seats remain vacant/unfilled, same shall be filled by draw of lots.

The schools are not allowed to fix additional points other than the points specified above.

## 14(c) Minority Schools:

- (i) 25% Economically Weaker Section and Disadvantaged Group quota is not mandatory for minority schools. However those minority schools, which have been allotted land by the Govt. Agencies shall have to admit the children belonging to EWS category to the extent of 20% at entry level and provide free-ship to them till the completion of their school education, in view of Hon'ble Delhi High Court's Order dated 24.09.2012 and 04.12.2012 in WP(C) No. 6439/2011 and 3715/2011.
- (ii) 05% staff quota is applicable as in other schools.
- (iii) 05% girl's quota for co-ed schools is applicable as in other schools.
- (iv) Minority schools shall have the right to reserve seats for the students belonging to the minority concerned. The extent of seats reserved/unreserved shall be announced and the procedure followed shall be publicized through their web sites, notice boards, and/or whatever process they follow for admission. The process of admissions will be in an open, transparent and fair manner.
- (v) The remaining seats, if any, will be treated as open seats and admission to these seats will be on the basis of fixed parameters/criteria and fixed points as prescribed in clause 14 (b) (iv) above.

**14(d) Schools set up for specific Government services like Armed Forces/Paramilitary Forces/Central Services/All India Services.**

- (i) The 25% Economically Weaker Section and Disadvantaged Group quota is applicable as in other schools.
- (ii) 05% staff quota is applicable as in other schools.
- (iii) 05% girl's quota for co-ed schools is applicable as in other schools.
- (iv) Such schools shall have the right to reserve seats for the wards of specific Government services like Armed Forces/Paramilitary Forces/Central Services /All India Services. They shall have a transparent procedure of admission.
- (v) The remaining seats will be treated as open seats and admission to these seats will be on the basis of fixed parameters/criteria and fixed points as prescribed in clause 14 (b)(iv) above.

14 (e) The schools shall identify localities within a 6 kms radius (whether aerial or road distance) and publicise on their websites, notice boards and through whatever admission process they normally use to ensure maximum transparency."

This disposes off the directions passed by the Hon'ble High Court vide Order dated 25/09/2013 in WPC No. 2463/2013 titled 'Social Jurist: A Civil Rights Group Vs Lt. Governor of NCT of Delhi and Anr'.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi,

Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)